

प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,  
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

विषय:- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।

लखनऊ: दिनांक: 16 मई, 2017

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0- सं0नि0(उ0शि0)/एकल स्था0/528/2016-17 दिनांक-31.03.2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचार करते हुए अधोतालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित असिस्टेंट प्रोफेसर को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डॉ० इन्दू सिंह, असि० प्रो०- रसायन विज्ञान विभाग, जनता वैदिक कॉलिज, बड़ौत (बागपत)।	रसायन विज्ञान	मेरठ कॉलिज मेरठ।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में एकल स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

( प्रमोद चन्द्र गुप्ता )  
विशेष सचिव।

संख्या:- स्था0- 11(1)/सत्तर-3-2017- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- (2) जिला विद्यालय निरीक्षक बड़ौत (बागपत)/मेरठ।
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- (4) सचिव, उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (5) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (6) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (7) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

( कुँवर मकरन्द सिंह )  
अनु सचिव।

प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,  
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

विषय:- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।

लखनऊ: दिनांक: 16 मई, 2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0- सं0नि0(उ0शि0)/एकल स्था0/01/2017-18 दिनांक-07.04.2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचार करते हुए अधोतालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित असिस्टेंट प्रोफेसर को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डॉ० अरुण कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रो०, इतिहास, गाँधी स्मारक पी०जी० कालेज, समोधपुर, जौनपुर	इतिहास	डी०ए०वी० कालेज आजमगढ़।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में एकल स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

( प्रमोद चन्द्र गुप्ता )  
विशेष सचिव।

संख्या:- स्था0-12(1)/सत्तर-3-2017- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
- (2) जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर/आजमगढ़।
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- (4) सचिव, उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (5) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (6) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (7) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,  
उत्तर

(-कुँवर मकरन्द सिंह)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,  
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

विषय:- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।

लखनऊ: दिनांक: 16 मई, 2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0- सं0नि0(उ0शि0)/एकल स्था0/05/2017-18 दिनांक-21.04.2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचार करते हुए अधोतालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित असिस्टेंट प्रोफेसर को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	श्री नवदीप कुमार मौर्य, असि0 प्रो0, बी0एड0 विभाग, पं0 जवाहर लाल नेहरू कालेज, बांदा।	बी0एड0 विभाग	हिन्दू कालेज मुरादाबाद

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में एकल स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

( प्रमोद चन्द्र गुप्ता )  
विशेष सचिव।

संख्या:- स्था0- 13(1)/सत्तर-3-2017- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
- (2) जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा/मुरादाबाद
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
- (4) सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (5) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (6) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (7) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

( कृंवर मकरन्द सिंह )  
अनु सचिव।

संज्ञा  
R-A  
25/05/17

प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,  
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 16 मई, 2017

विषय:- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।

महोदय,  
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०- सं०नि०(उ०शि०)/एकल स्था०/०८/२०१७-१८ दिनांक-२१.०४.२०१७ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) २००६ में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचार करते हुए अधोतालिका के स्तम्भ-२ में अंकित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित एसोसिएट प्रोफेसर को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-०४ में अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डॉ० रेनू सिंह राना, एसोसिएट प्रो० अर्थशास्त्र, गिन्नी देवी मोदी गर्ल्स (पी०जी०) कॉलेज, गाजियाबाद।	अर्थशास्त्र	एम०एम०एच० कॉलेज गाजियाबाद।

२- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में एकल स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

( प्रमोद चन्द्र गुप्ता )  
विशेष सचिव।

संख्या:- स्था०-१४(१)/सत्तर-३-२०१७- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (१) कुलसचिव, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- (२) जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद।
- (३) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- (४) सचिव, उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, १८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (५) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (६) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (७) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

( कुँवर मकरन्द सिंह )  
अनु सचिव।

प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,  
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

विषय:- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।

लखनऊ: दिनांक: 16 मई, 2017

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0- सं0नि0(उ0शि0)/एकल स्था0/11/2017-18 दिनांक-26.04.2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचार करते हुए अधोतालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित असिस्टेंट प्रोफेसर को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	श्रीमती सुमनलता, असि0 प्रो0, संगीत वादन, 'सितार', कनोहर लाल स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, मेरठ	संगीत वादन 'सितार'	महिला महाविद्यालय किदवई नगर, कानपुर नगर।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में एकल स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

( प्रमोद चन्द्र गुप्ता )  
विशेष सचिव।

संख्या:- स्था0-15 (1)/सत्तर-3-2017- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- (2) कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
- (3) जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ/कानपुर नगर।
- (4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- (5) सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (7) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (8) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

( कुँवर मकरन्द सिंह )  
अनु सचिव।